निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 02/2019 वाद
GCMS No 2019/00003

1– अम्बालाल पिता नारायण धोबी निवासी बिनोता मृतक के बजाय–
1/1– बाबुलाल पिता अम्बालाल धोबी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
1/2– जगदीश पिता अम्बालाल धोबी, आयु 55 साल, निवासी बिनोता।
1/3– मनोहरलाल पिता अम्बालाल धोबी, आयु 53 साल, निवासी बिनोता।
1/4– महीपाल पिता अम्बालाल धोबी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता।
1/5– श्रीमती दुर्गा पुत्री अम्बालाल धोबी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, हाल पत्नी शान्तिलाल धोबी, निवासी बसेड़ा, तहसील छोटीसादड़ी।
2– पुरण पिता नारायण धोबी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
3– हीरालाल पिता नारायण धोबी, आयु वयस्क, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़, राज0।

– वादीगण

//बनाम//

1. बंशी उर्फ बंशीलाल पिता गोपाल धोबी, आयु 65 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
3. मदन उर्फ मदनलाल पिता गोपाल धोबी, निवासी बिनोता हाल मुकाम मकान नं. 16 गीता भवन रोड़, मयुर कॉलोनी, मन्दसौर तहसील व जिला मन्दसौर।

– प्रतिवादीगण

वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0
श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री राकेश भट्ट, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 31.05.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की माता मु

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

दिनांक :–6.4.2022

धानी बाई धोबी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल से दिनांक 02.01.1975 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम बिनोता की आराजीयात खरीदी है। वक्त खरीद कब्जा खास प्राप्त किया और वादीगण की माता विक्रय शुदा आराजी ग्राम बिनोता की आराजी नं. 571, 572, 573, 574 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। वक्त खरीद से इस भूमि पर वादीगण की माता का तथा उनके मरने के उपरान्त वादीगण का कब्जा चला आ रहा था। आराजी विधिवत क्रय करने से वादीगण की माता के नाम इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था परन्तु साबिक आराजी नं. 571 रकबा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नं. 702 रकबा 0.1000 का इन्तकाल वादीगण की माता के नाम दर्ज नहीं हो सका। प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल के नाम पर उक्त आराजीयात दर्ज होने से नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमदा है। वादीगण का इस भूमि पर वक्त खरीद से लगातार 44 साल से कब्जा चला आ रहा है इसलिए वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा है इसलिए वादीगण को मजबुरन यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिनोता की आराजी नं. 702 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी में घोषित फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा व राजीनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 395 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2030–33 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 528 प्रदर्श–2, खाता संख्या 74 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2034–37 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 554 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत 2046–49 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 100 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 12 प्रदर्श–6, नक्शा ट्रेस ग्राम बिनोता प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बिनोता प्रदर्श–8, पंजीकृत बेचात नामा दिनांक 05.11.1974 की छायाप्रति प्रदर्श–9ए, पंजीकृत बेचात नामा दिनांक 05.11.1974 की छायाप्रति प्रदर्श– 10ए प्रस्तुत किये हैं। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यु–1 हीरालाल व पीडब्ल्यु–2 पुरणमल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। प्रदर्श–1 अनुसार प्रश्नगत आराजी नं. 702 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 से 4 में उक्त भूमि गोपाल पिता प्रथा धोबी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श–5 में उक्त भूमि विरासत से प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

संख्या 1 के नाम दर्ज होना अंकित है। प्रदर्श–6 में वादीगण के नाम दर्ज आराजीयात है। प्रदर्श– 10 ए पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति है जिसमें आराजी नं. 571 खातेदार गोपाल पिता प्रताप धोबी द्वारा अपने पुत्र बंशीलाल को विक्रय किया जाना अंकित है। जबकि वादीगण ने अपने दावे में अंकित किया है कि उक्त आराजीयात वादीगण की माता द्वारा गोपाल से क्रय की गई थी तथा सहवन से उनके नाम दर्ज होने से रह गई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के कथन साबित नहीं होते है। बंशीलाल के नाम विधिवत रूप से विक्रय से दर्ज हुई है तथा वादीगण की माता द्वारा क्रय नहीं की गई है। रेकार्डेड खातेदार बंशीलाल द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है परन्तु विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के विरूद्ध उसे तरजीह नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपना दावा साबित करने में असफल रहे हैं।

अतः वादीगण का दावा साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को हमारे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)